Phone : 0154 - 3552644
Mobile : 94144-32838

SANJEEV GUPTA

ADVOCATE

126 VINOBA BASTI SRIGANGANAGAR - 335001

SEARCH REPORT & TITLE CERTIFICATE

Non-Encumbrance Certificate

Owner: *Aamin Setia S/o Ajay Setia R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab*

Property: *Property Situated at Chak 1 Z Sq No 41 Killa No 1/1 (0.225 Hect.), 2/2,3/1,4/2,5/1 (0.2277 Hect. each), 6/2,7/2,8/2 (0.1686 Hect. each), 9/2 (0.1687 Hect.), 10/2 (0.1666 Hect.) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 1.9769 Hect.*

SANJEEV GUPTA
ADVOCATE

Phone : 0154 - 2480126
Mobile: 94144-32838
126 VINOBA BASTI
SRI GANGANAGAR(Raj.)

Dated: 25.07.2024

The Registrar,

Rajasthan Real Estate Regulatory Authority,

2nd and 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan,

Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.

Sub: Title Legal Opinion on Investigation of Title (Search Report) certifying Non-Encumbrances of the Chak 1 Z Sq No 41 Killa No 1/1 (0.225 Hect.), 2/2,3/1,4/2,5/1 (0.2277 Hect. each), 6/2,7/2,8/2 (0.1686 Hect. each), 9/2 (0.1687 Hect.), 10/2 (0.1666 Hect.) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 1.9769 Hect. Belonging to Aamin Setia S/o Ajay Setia R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab

Dear Sir/Madam,

Project: Spring Field Phase-2

I, **Sanjeev Gupta Advocate** has investigated the title of **Aamin Setia S/o Ajay Setia R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab** (name of the onwer) to the immovable property **Chak 1 Z Sq No 41 Killa No 1/1 (0.225 Hect.), 2/2,3/1,4/2,5/1 (0.2277 Hect. each), 6/2,7/2,8/2 (0.1686 Hect. each), 9/2 (0.1687 Hect.), 10/2 (0.1666 Hect.) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 1.9769 Hect.** on the basis of the title deed/s and other documents (more particularly described in Schedule I) and searches carried out by me in Office of Sub-Registrar, Sri Ganganagar. My report on the title is as under:

PART I DESCRIPTION OF THE PROPERTY:

Chak 1 Z Sq No 41 Killa No 1/1 (0.225 Hect.), 2/2,3/1,4/2,5/1 (0.2277 Hect. each), 6/2,7/2,8/2 (0.1686 Hect. each), 9/2 (0.1687 Hect.), 10/2 (0.1666 Hect.) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 1.9769 Hect. (Hereinafter referred as the Said Property)

PART II HISTORY OF TITLE OF PROPERTY - (HISTORY OF TITLE)

UIT passed an order no. LU2012/SGN/2023-24/100919 dated 15.02.2024 under Sec 90-क in favour of **Aamin Setia S/o Ajay Setia R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab. (Chak 1 Z Sq No 41 Killa No 1/1 (0.225 Hect.), 2/2,3/1,4/2,5/1 (0.2277 Hect. each), 6/2,7/2,8/2 (0.1686 Hect. each), 9/2 (0.1687 Hect.), 10/2 (0.1666 Hect.) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 1.9769 Hect.)**

As per latest Jamabandi Samvat 2071-2074 Chak 1 Z Khata No 152 owner of this property **Chak 1 Z Sq No 41 Killa No 1/1 (0.225 Hect.), 2/2,3/1,4/2,5/1 (0.2277 Hect. each), 6/2,7/2,8/2 (0.1686 Hect. each), 9/2 (0.1687 Hect.), 10/2 (0.1666 Hect.) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 1.9769 Hect.** In the name of **UIT Sri Ganganagar after order of Sec 90-क**

Since then **Aamin Setia S/o Ajay Setia R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab** is continuing to be the owner of said property

PART III OTHER PROVISIONS:

3.1. Whether property to be given as security is subject to any minor's claim/share?
NO

3.2 Mutation of the name of the owner in revenue records :
YES

SANJEEV GUPTA
Advocate
126-Vinoba Basti, Sri Ganganagar
MOBILE-94144-32838

3.3 Whether the user land has been converted into Non-Agricultural for Residential use by the order of the competent Authority?
YES

3.4 Whether up to date tax/Land Revenue has been paid on the property.
YES

3.5 Whether Search Report is obtained and submitted?

Search Receipt Details	
Search Receipt No.	GRN 92399527
Name of the Advocate	Sanjeev Gupta
Search Receipt Date	25.07.2024

PART IV: CERTIFICATE:

I further certify that **Aamin Setia S/o Ajay Setia R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab** has a valid, clear, marketable and free title over the subject property.

Conclusion

Keeping in view of the above it is to be certify that **Aamin Setia S/o Ajay Setia R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab** is the full owner of **Chak 1 Z Sq No 41 Killa No 1/1 (0.225 Hect.), 2/2,3/1,4/2,5/1 (0.2277 Hect. each), 6/2,7/2,8/2 (0.1686 Hect. each), 9/2 (0.1687 Hect.), 10/2 (0.1666 Hect.) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 1.9769 Hect.**

REMARKS:

1. The report does not comment on: The technical regularity (adherence to by laws/approvals) or otherwise of the said property, whether the said property is a subject matter of any pending legislative, authenticity of the documents/examined. All the above said is outside the scope of the working reference to this report;

Signature

SANJIV GUPTA Advocate
26-Vinoba Basti, Sri Ganganagar
MOBILE-94144-32838

(Sanjeev Gupta)
Advocate

Schedule-I

ANNEXURE-'A'

1. Photo Copy of order no. LU2012/SGN/2023-24/100919 dated 15.02.2024 under Sec 90-क passed by UIT Sri Ganganagar in favour of **Aamin Setia S/o Ajay Setia R/o House No. B-5/1043, Gali No. 4, Jain Nagar, Abohar, Fazilka, Punjab. (Chak 1 Z Sq No 41 Killa No 1/1 (0.225 Hect.), 2/2,3/1,4/2,5/1 (0.2277 Hect. each), 6/2,7/2,8/2 (0.1686 Hect. each), 9/2 (0.1687 Hect.), 10/2 (0.1666 Hect.) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 1.9769 Hect.)**
2. Photo Copy of Jamabandi Samvat 2071-2074 Chak 1 Z Khata No 152 owner of this property **Chak 1 Z Sq No 41 Killa No 1/1 (0.225 Hect.), 2/2,3/1,4/2,5/1 (0.2277 Hect. each), 6/2,7/2,8/2 (0.1686 Hect. each), 9/2 (0.1687 Hect.), 10/2 (0.1666 Hect.) Teh. & Distt. Sri Ganganagar Total 1.9769 Hect.** In the name of **UIT Sri Ganganagar after order of Sec 90-क**
3. Photo Copy of Proposed Lay Out Plan.

SANJIV GUPTA
Advocate
Vinoba Basti, Sri Ganganagar
E-94144-32838

e-Challan

Registration and Stamps department

Government of Rajasthan

GRN: **0092399527** Payment Date: **25/07/2024 09:03:31**

Office Name: **SUB REGISTRAR REGISTRATION & STAMPS, SRI GANGANAGAR**
Location: GANGANAGAR
Period: 01/04/2024-To-31/03/2025

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	650.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**650.00**

Six Hundred Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **sanjeev Gupta**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): SRI GANGANAGAR(335001)
Address:SRI GANGANAGAR	Remarks:Inspection Search

Payment Details:

		Challan No. -	**3880326**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**SBIN9239952725072024**
Date:	25/07/2024 09:03:31	Refrence No:	**IK0CVZPLJ4**

Computer generated copy on : 29/07/2024 ***Courtsy : https://Egras.rajasthan.gov.in***

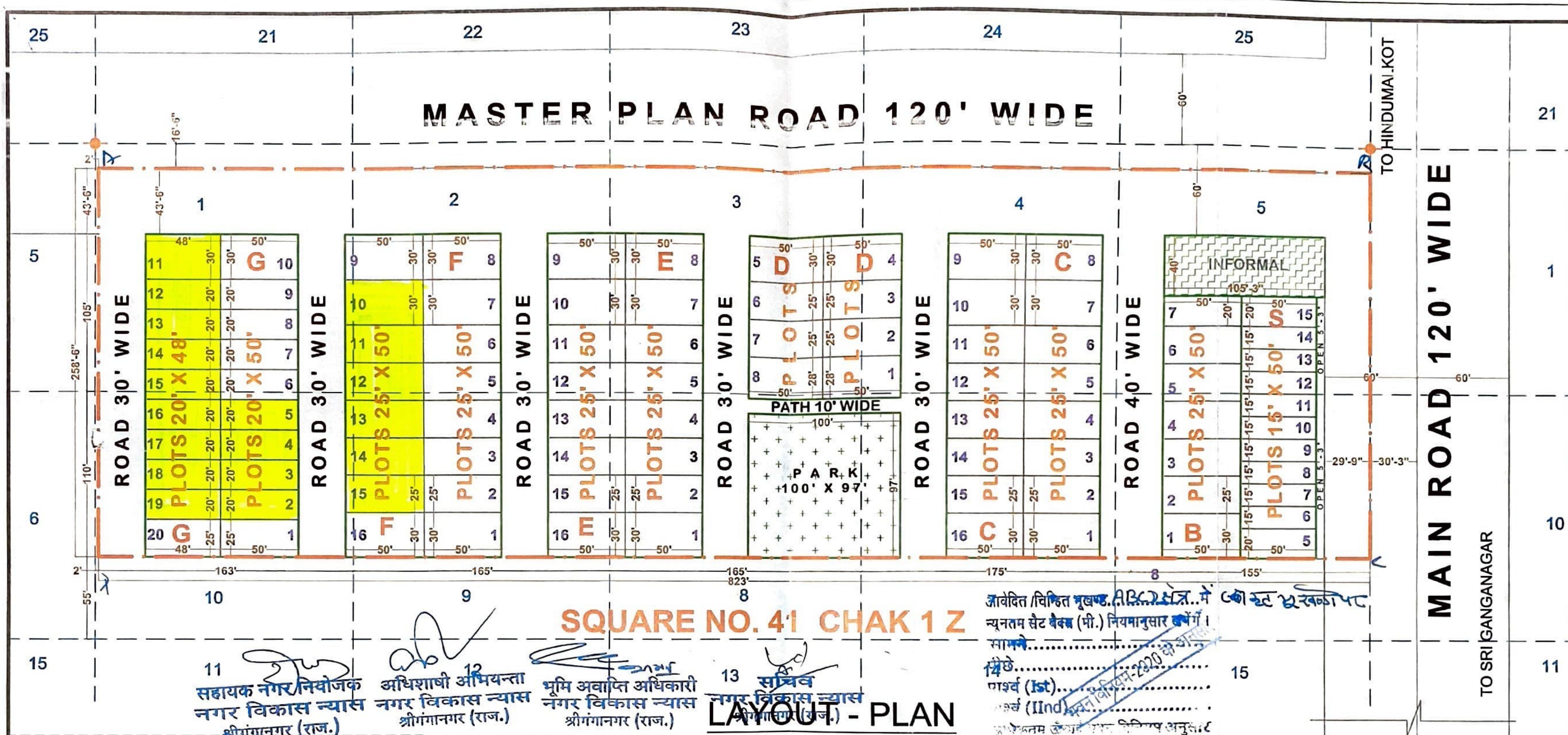

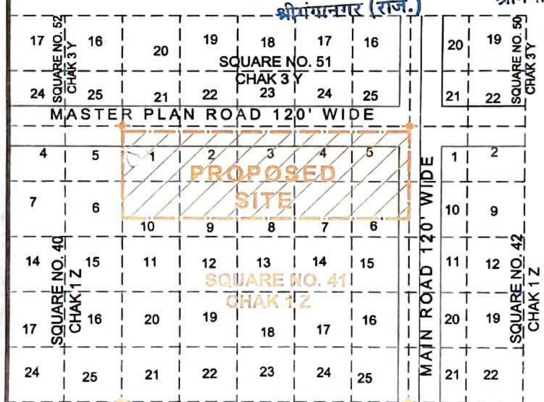

PART OF CHAK PLAN

LAND USE ANALYSIS :-

TOTAL LAND 212745.50 Sq. Ft.

S. NO.	PARTICULAR	AREA IN Sq.ft.	%TAGE
1	RESIDENTIAL	113870.00 Sq.ft.	53.52 %
2	INFORMAL	4210.00 Sq.ft.	1.98 %
3	PARK & PATH	10700.00 Sq.ft.	5.03 %
4	ROAD	83965.50 Sq.ft.	39.47 %
	TOTAL	212745.50 Sq.ft.	100 %

REFERENCE :-

1. JAMABANDI AREA SHOWN THUS :-
2. KILLA LINE SHOWN THUS :-
3. SQUARE POINT SHOWN THUS :-
4. JAMABANDI AREA :- 212745.50 Sq. Ft. OR 1.9769 Hect.
5. SCALE 1" = 64'

न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 27/2/2024 को निर्णय 2024/3002 Dt. 29/2/2024 भवन मानचित्र/ले आउट प्लान/साईट प्लान/ स्वीकृत किया गया।

LAYOUT PLAN OF KILLA NO. 1 TO 10(EACH PART) IN SQUARE NO. 41 CHAK 1 Z AT Teh. & Dist. SRI GANGANAGAR (RAJ.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2024/ दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता **श्री आमीन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया निवासी मकान नं. बी-5/1043 गली नं. 04, जैन नगर, अबोहर, फाजिल्का (पंजाब)** द्वारा आवेदित भूमि वाके चक 1 जैड मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 1/1 में 0.2250 है., किला नं. 2/2, 3/1, 4/2 व 5/1 प्रत्येक में 0.2277 है., किला नं. 6/2, 7/2 व 8/2 प्रत्येक में 0.1686 है., किला नं. 9/2 में 0.1687 है., किला नं. 10/2 में 0.1666 है. यथाकुल 1.9769 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही न्यास आदेश संख्या LU2012/SGN/2023-24/100919 दिनांक 15.11.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 15.02.2024 द्वारा 90-ए आदेश है। उक्त भूमि का ले आउट प्लान विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डी-43/2021/68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशो की पालना न्यास आदेश सं. टीपी/2021/1635 दिनांक 30.09.2021 के क्रम में न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 27.02.2024 के एजेण्डा संख्या 25 द्वारा स्वीकृत है। खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त आवासीय योजना का नाम **"स्प्रिंग फील्ड फेस-2"** रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि **(जारी माँग पत्र क्रमांक नियोजन/2024/132 दिनांक 23.04.2024 में अंकित राशि)** के बाह्य विकास शुल्क की राशि **19,76,900/-** रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि **3,95,380/-** रुपये कम करते हुए शेष राशि **15,81,520/-** रुपये एवं बीएसयूपी फण्ड राशि **2,74,250/-** रुपये यथाकुल राशि **18,55,770/-** रुपये **जरिये रसीद संख्या 88/1710 दिनांक 06.05.2024 द्वारा** न्यास कोष में जमा है।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार (2 हैक्टेयर से कम की योजनाओं हेतु) ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अर्थात् 1097 वर्गमीटर भूमि के समतुल्य आरक्षित/डीएलसी दर 1370 रुपये 50 प्रतिशत अर्थात् 2055/- रुपये का आधा आरक्षित दर 1027.50/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से राशि **11,27,168/-** रुपये 90 दिवस की समयावधि में नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी अथवा उक्त अवधि के पश्चात् जमा करवाये जाने वाली राशि पर नियमानुसार ब्याज के साथ राशि जमा करवायी जानी होगी। भविष्य में लागू दरों अनुसार कोई वसूली बनती है तो अन्तर की राशि जमा करवाने हेतु आप जरिये शपथ पत्र पाबन्द रहेंगें। खातेदार/विकासकर्ता/आवेदक विवाद की स्थिति में न्यास विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई वाद/विवाद/उज्र/आपत्ति नहीं करेंगें। इस हेतु आप पाबन्द रहेंगें।

खातेदारान द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड, **(भूखण्ड संख्या F-10 Size 30'-0" X 50'-0" Feet, F-11 to F-15 Each Size 25'-0" X 50'-0" Feet, G-2 to G-5 Each Size 20'-0" X 50'-0" Feet, G-11 Size 30'-0" X 48'-0" Feet, G-12 to G-19 Each Size 20'-0" X 48'-0" Feet, Total 19 Resi. Plot)** न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार **श्री आमीन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया निवासी मकान नं. बी-5/1043 गली नं. 04, जैन नगर, अबोहर, फाजिल्का (पंजाब)** द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्न शर्तो के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता हैं :-

1. स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य बिजली, पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाईट, नाली, पार्क (लाईट, झूले, बैच, घास, पेड़-पौधे आदि), होर्टिकल्चर आदि का निर्माण स्वयं कॉलोनाईर्स/ खातेदार को स्वयं के खर्चे पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होगें। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
2. ऑवर हैड वाटर टैक, वर्षा जल नालिया एवं सीवरेज का कार्य स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यो के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी। स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार आन्तरिक विकास कार्य एवं उपरोक्त वर्णित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त किया जावेगा।
3. योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगें। इस बाबत खातेदार/ कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेगें।
4. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
5. आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फीट चौड़ी सड़क जो मौके पर 40 फीट से अधिक चौड़ाई में संचालित है, से पहुँच मार्ग प्रस्तावित है। मास्टर प्लान की 120 सड़क मार्गाधिकार में आने वाली अपने स्वामित्व की भूमि में से 43'-6" गुणा 823'-0" फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करवायी जा चुकी है। आवेदित भूमि को प्रस्तावित पहुँच मार्ग हेतु सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगें इस हेतु आप बाध्य रहेंगें।
6. आवेदित भूमि को पूर्व दिशा से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फीट चौड़ी सड़क जो मौके पर 40 फीट से अधिक चौड़ाई में संचालित है, से पहुँच मार्ग प्रस्तावित है। मास्टर प्लान की 120 सड़क मार्गाधिकार में आने वाली अपने स्वामित्व की भूमि में से 29'-9" गुणा 215'-0" फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करवायी जा चुकी है। आवेदित भूमि को प्रस्तावित पहुँच मार्ग हेतु सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगें इस हेतु आप बाध्य रहेंगें।
7. आवेदित भूमि में से यदि कोई खाला गुजर रहा हो तो उक्त खाले के संबंध में नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी उपरांत ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए अथवा खाले के उपर से आवागमन

हेतु आवश्यक पुल के निर्माण की सबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर समस्त उत्तरदायित्व/सुरक्षात्मक उपाय विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगें।

8. आवेदित भूमि में से यदि कोई विद्युत लाईन गुजर रही हो तो नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी उपरांत ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम–2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए अथवा विद्युत लाईन का विस्थापन कर सुरक्षात्मक उपाय आवेदक/विकासकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगें। जिसकी समस्त जिम्मेवारी आवेदक/विकासकर्ता स्वयं की होगी।

9. योजना में स्वीकृत इन्फॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड माप **Informal Size 40'-0" X 105'-3" Feet (4210 वर्गफीट)** का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020/विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार/दिनांक 20.02.2023 एवं समय–समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।

10. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

11. अनुमोदित योजना मानचित्र में सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित करते है। आवेदित भूमि में स्वीकृत सड़क हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटि) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।

12. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार नियत अवधि में उपर्युक्तानुसार समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक कमेटी की अनुशंषा एवं कॉलोनाईजर्स/ खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डर टेंकिग के अनुसार **(भूखण्ड संख्या F-10 Size 30'-0" X 50'-0" Feet, F-11 to F-15 Each Size 25'-0" X 50'-0" Feet, G-2 to G-5 Each Size 20'-0" X 50'-0" Feet, G-11 Size 30'-0" X 48'-0" Feet, G-12 to G-19 Each Size 20'-0" X 48'-0" Feet, Total 19 Resi. Plot)** नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पास बन्धक रहन रहेगे। कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा किये गये विकास कार्यो के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुद्धा भूखण्ड को रहन मुक्त किया जायेगा।

13. योजना की समस्त सड़कें न्यास में निहित होगा एवं योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा एवं योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा सरंक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।

14. योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़के, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होगें। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढाई जा सकेगी।

15. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स् 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

16. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा।

17. टाउनशिप पॉलिसी–2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा–निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होगे।

18. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट–IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशॅिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगें।

19. राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 विकासकर्ता/खातेदार द्वारा सुनिश्चितता की जानी होगी।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त सभी शर्ते मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्ते मुझे/हमे मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

सहमती हस्ताक्षर
(खातेदार/कॉलोनाईजरस)

क्रमांक :– नियोजन/2024/543 दिनांक :– 20/06/2024

प्रतिलिपि :–

1. खातेदार/विकासकर्ता **श्री आमीन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया निवासी मकान नं. बी–5/1043 गली नं. 04, जैन नगर, अबोहर, फाजिल्का (पंजाब)।**
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रुपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
राजस्थान सरकार

क्रमांक :– **LU2012/SGN/2023-24/100919** दिनांक :– 15/2/24

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री आमीन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया निवासी मकान नं. बी–5/1043 गली नं. 04, जैन नगर, अबोहर, फाजिल्का, पंजाब।

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि का आवासीय **प्रयोजनार्थ** के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है : –

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./ भूमि का विवरण	क्षेफलफल (हैक्टेयर)
1	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री आमीन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया	चक 1 जैड मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 1/1 में 0.2250 हैक्टे. किला नं. 2/2, 3/1, 4/2 व 5/1 प्रत्येक में 0.2277 हैक्टे. किला नं. 6/2, 7/2 व 8/2 प्रत्येक में 0.1686 हैक्टे. किला नं. 9/2 में 0.1687 हैक्टे. किला नं. 10/2 में 0.1666 हैक्टे. यथाकुल 1.9769 हैक्टेयर	कुल 1.9769 हैक्टेयर

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा, और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकरण की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय प्रयोजनार्थ** के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय प्रयोजनार्थ** के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गई है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्टि अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 15/2/24 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक :– **LU2012/SGN/2023-24/100919** दिनांक :–

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि आवेदित भूमि को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के नाम नामान्तरण/इन्तकाल 7 दिवंस के अन्तर्गत दर्ज कर ऑन लाईन अपलोड कर अनुपालना सुनिश्चित करें।
2. श्री आमीन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया निवासी मकान नं. बी–5/1043 गली नं. 04, जैन नगर अबोहर, फाजिल्का, पंजाब (खातेदार)

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :1 जैड़	पटवार मण्डल :4 जैड	भू.अ.नि.वृत:चक महाराजका	तहसील:गंगानगर	जिला:गंगानगर
नामांतरकरण का प्रकार : न्याया. आदेश	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :796 08/04/2024		संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2071-2074	
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :			नामांतरकरण शुल्क :0 शास्ति : 0	

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	प. 0 मु. 41 कि. 1/1	0.2250	नहरी	2.14	1.) अमिन सेतिया पुत्र अजय सेतिया	152	1.) नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर	प. 0 मु. 41 कि. 1/1	0.2250	गै. मु. आवासीय	
	कि. 2/2	0.2277	नहरी	2.16	हिस्सा- पूर्ण		हिस्सा- पूर्ण	कि. 2/2	0.2277	गै. मु. आवासीय	
	कि. 3/1	0.2277	नहरी	2.16	जाति- अरोड़ा निवासी 1 जैड़		विभागीय	कि. 3/1	0.2277	गै. मु. आवासीय	
	कि. 4/2	0.2277	नहरी	2.16	खातेदार			कि. 4/2	0.2277	गै. मु. आवासीय	
	कि. 5/1	0.2277	नहरी	2.16				कि. 5/1	0.2277	गै. मु. आवासीय	
	कि. 6/2	0.1686	नहरी	1.60				कि. 6/2	0.1686	गै. मु. आवासीय	
	कि. 7/2	0.1686	नहरी	1.60				कि. 7/2	0.1686	गै. मु. आवासीय	
	कि. 8/2	0.1686	नहरी	1.60				कि. 8/2	0.1686	गै. मु. आवासीय	
	कि. 9/2	0.1687	नहरी	1.60				कि. 9/2	0.1687	गै. मु. आवासीय	
	कि. 10/2	0.1666	नहरी	1.58				कि. 10/2	0.1666	गै. मु. आवासीय	
	कि. 11/3	0.1818	नहरी	1.73							
	कि. 12/2	0.1840	नहरी	1.75							
	कि. 13/2	0.1840	नहरी	1.75							
	कि. 14/2	0.1840	नहरी	1.75							
	कि. 15/2	0.1840	नहरी	1.75							
	कि. 16	0.2530	नहरी	2.40							
	कि. 17/1	0.2446	नहरी	2.32				--बदस्तूर खसरा--			

खाता : 154	कुल प. 1	कुल मु. 1	कुल कि. 17	कुल क्षेत्रफल : 3.3923	कुल काश्तकार : 1

खाता : 152	कुल काश्तकार : 1	कुल प. 1	कुल मु. 2	कुल कि. 28	कुल क्षेत्रफल : 4.1619

खातों का विवरण:-

खाता : 154	कुल प. 1	कुल मु. 1	कुल कि. 17	कुल क्षेत्रफल : 3.3923	कुल काश्तकार : 1

खाता : 152	कुल काश्तकार : 1	कुल प. 1	कुल मु. 2	कुल कि. 28	कुल क्षेत्रफल: 4.1619
खाता : 154	कुल काश्तकार : 1	कुल प. 1	कुल मु. 1	कुल कि. 7	कुल क्षेत्रफल: 1.4154

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- 1 जैड़ | अंतिम चौसला आधार संवत :- 2071 - 2074
पटवार हल्का :- 4 जैड | भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार | जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- चक महाराजका | क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- गंगानगर | खाता संख्या नया :- 152
जिला :- गंगानगर | खाता संख्या पुराना :- 46

काश्तकार का नाम :-

1. नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर हिस्सा- पूर्ण विभागीय,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनाँक	टिप्पणी
प.न . 0						स्वीक्रत नामांतरकरण : 752 25/04/2022न्याया. आदेश	
मु.न. 41						स्वीक्रत नामांतरकरण : 774 16/01/2023न्याया. आदेश	
कि.न. 1/1	0.2250	गै. मु. आवासीय	0.2250			स्वीक्रत नामांतरकरण : 796 15/05/2024न्याया. आदेश	
2/2	0.2277	गै. मु. आवासीय	0.2277			स्वीक्रत नामांतरकरण : 800 17/05/2024न्याया. आदेश	
3/1	0.2277	गै. मु. आवासीय	0.2277			स्वीक्रत नामांतरकरण : 802 24/06/2024न्याया. आदेश	
4/2	0.2277	गै. मु. आवासीय	0.2277				
5/1	0.2277	गै. मु. आवासीय	0.2277				
6/1	0.0844	गै. मु. आवासीय	0.0844				
6/2	0.1686	गै. मु. आवासीय	0.1686				
7/1	0.0844	गै. मु. आवासीय	0.0844				
7/2	0.1686	गै. मु. आवासीय	0.1686				
8/1	0.0844	गै. मु. आवासीय	0.0844				
8/2	0.1686	गै. मु. आवासीय	0.1686				
9/1	0.0843	गै. मु. आवासीय	0.0843				
9/2	0.1687	गै. मु. आवासीय	0.1687				
10/1	0.0834	गै. मु. आवासीय	0.0834				
10/2	0.1666	गै. मु. आवासीय	0.1666				
11/2	0.0682	गै. मु. आवासीय	0.0682				
12/1	0.0690	गै. मु. आवासीय	0.0690				
13/1	0.0690	गै. मु. आवासीय	0.0690				
14/1	0.0690	गै. मु. आवासीय	0.0690				
15/1	0.0690	गै. मु. आवासीय	0.0690				

कुल किता : 20

भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल

गै. मु. आवासीय 2.7420 0.00

यू.एस.एन - 2855267821528022

https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=2855267821528022

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - NAND LAL | पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनाँक व समय - 24/Jun/2024 02:46:00 PM

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- 1 जैड़
अंतिम चौसला आधार संवत :- 2071 - 2074
पटवार हल्का :- 4 जैड
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- चक महाराजका
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- गंगानगर
खाता संख्या नया :- 152
जिला :- गंगानगर
खाता संख्या पुराना :- 46

मु.न. 42

कि.न. 1	0.1370	गै. मु. आवासीय	0.1370
2/1	0.0090	गै.मु.आवासीय	0.0090
9/2	0.1150	गै. मु. आवासीय	0.1150
10	0.1640	गै. मु. आवासीय	0.1640
11	0.1640	गै. मु. आवासीय	0.1640
12/1	0.1150	गै. मु. आवासीय	0.1150

कुल किता : 6	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल		
	गै. मु. आवासीय	0.6950	0.00
	गै.मु.आवासीय	0.0090	0.00

मु.न. 59

कि.न. 1/3	0.0700	गै. मु. आवासीय	0.0700
1/5	0.0820	गै. मु. आवासीय	0.0820
2/1	0.0120	गै. मु. आवासीय	0.0120
2/5	0.1265	गै. मु. आवासीय	0.1265
2/7	0.0895	गै. मु. आवासीय	0.0895
3/3	0.1015	गै. मु. आवासीय	0.1015
3/5	0.1265	गै. मु. आवासीय	0.1265
4/3	0.1265	गै. मु. आवासीय	0.1265
4/4	0.1015	गै. मु. आवासीय	0.1015
5/3	0.1835	गै. मु. आवासीय	0.1835
5/5	0.0445	गै. मु. आवासीय	0.0445
6	0.2530	गै. मु. आवासीय	0.2530
21/2	0.1240	गै. मु. आवासीय	0.1240
22/2	0.1860	गै. मु. आवासीय	0.1860
23/2	0.1860	गै. मु. आवासीय	0.1860
24/2	0.1860	गै. मु. आवासीय	0.1860
25/3	0.0560	गै. मु. आवासीय	0.0560
25/4	0.1300	गै. मु. आवासीय	0.1300

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- 1 जैड़ | अंतिम चौसला आधार संवत :- 2071 - 2074

पटवार हल्का :- 4 जैड | भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार | जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- चक महाराजका | क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- गंगानगर | खाता संख्या नया :- 152

जिला :- गंगानगर | खाता संख्या पुराना :- 46

कुल किता : 18	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल		
	गै. मु. आवासीय	2.1850	0.00
कुल किता : 44	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल		
	गै. मु. आवासीय	5.6220	0.00
	गै.मु.आवासीय	0.0090	0.00

कुल खसरे -44 **5.6310**

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - a | पता - a

प्रतिलिपि सं. - 223938 | आई.पी. - 10.70.244.252

दिनाँक व समय -17/Jul/2024 05:19:00 PM | नक़ल जारी करने का स्थान - गंगानगर

यू.एस.एन - 2855267821528022 | https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=2855267821528022

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - NAND LAL | पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनाँक व समय - 24/Jun/2024 02:46:00 PM

							नहरी	1.443 11.095		
36	57	राज. सरकार	रमेशचन्द पुत्र परमानन्द 4.763 है. अजयकान्त पुत्र रमेशचन्द 1.476 है. जाति अरोड़ा सा. गंगानगर धर्मवीर पुत्र रामरख .084 है. जाति जाट सा. देह काश्तेदार ई.न. 280, 283 कैंप	मु.न. कि.न.	41					
					1	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					2	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					3	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					4	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					5	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					6	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					7	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					8	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					9	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					10	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					11	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					12	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					13	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					14	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					15	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4
					16	0.253	नहरी	.253	9.49	2.4

P 35 क्रमांक 301

28-12-09

राजस्व पटवारी
पटवार मण्डल [illegible]
तह. व जिला श्रीगंगानगर

जमाबंदी गांव नैड
तहसील श्रीगंगानगर
सन 2063-2066
क्षेत्रफल हैक्टेयर में

पटवार क्षेत्र नैड
जिला श्रीगंगानगर

भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible]

[illegible]/6/2006

खेवट (खतौनी) नया	खेवट (खतौनी) पुराना	भूमि धारकों का नाम	काश्तकार का नाम, जाति तथा निवासस्थान के पता सहित तथा भू-धृति का स्वरूप	खसरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	देय लगान दर	देय लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ग्राम विनिमय जिसके पश भूमि अन्तरित हो	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				17	0.253	नहरी .253		9.49	2.4			
				18	0.253	नहरी ..253		9.49	2.4			
				19	0.253	नहरी .253		9.49	2.4			
				20	0.253	नहरी .253		9.49	2.4			
				21	0.253	नहरी .253		9.49	2.4			
				22	0.253	नहरी .253		9.49	2.4			
				23	0.253	नहरी .253		9.49	2.4			
				24	0.253	नहरी .253		9.49	2.4			
				25	0.253	नहरी .253		9.49	2.4			
			कुल किता25	कु. क्षेफ. 6.325		नहरी 6.325	कुल लगान:60.02					
			खाते का योग कुल किता25	कु. क्षेफ. 6.325		नहरी 6.325	कुल लगान:60.02					

P 35 फ्यूमल 301

28-12-09

राजस्व पटवारी
पटवार मण्डल नैड
तह.व जिला श्रीगंगानगर

दलजीत सिंह 0.7591 हे विभाजन

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : GANGANAGAR

उप पंजीयक श्रीगंगानगर (राज.)

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 09-10-2023 4:45 PM

Fee Receipt No	: 202302103036487	Receipt Date	: 09/10/2023
Name	: RAMESH CHANDER ,	Document S. No.	: 202301103036296
Address	: NO ,NO ,SRI GANGANAGAR ,GANGANAGAR		
Document Type	: Gift Deed		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 8976026
Ord-Registration Fee	: ₹ 89761	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 100
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: **₹ 0**
		Other than Cash	: **₹ 90161**
		Total Amount	: **₹ 90161**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #) ***Rebate U/S 9(1) : ₹ 538562**

e-Registration Receipt RJ1432862827955 ₹ 90161

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक
श्रीगंगानगर (राज.)

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID	2023100909R	Receipt Date	09-OCT-2023 14:40
S R Location	GANGANAGAR		
Receipt No	**RJ1432862827955**		
Name Of Seller	RAMESH CHANDER		
Name Of Buyer	AMAN SETIA		
Type of Document	31 - Gift In Favour Of Sons Son		
ACC Reference	SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/SRIGANGANAGAR1		

उप पंजीयक श्रीगंगानगर (राज.) सत्यमेव जयते

Paid Fees

Particulars	**Amount (Rs.)**	**Particulars**	**Amount (Rs.)**
Registration Fees	₹ 89761	CSI	₹ 300
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 100
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	**₹ 90161**	**Service Charges**	**₹ 40**
Grand Total	**₹ 90201**		

(Rupees Ninety Thousand Two Hundred One Only)

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

<u>दस्तावेज उपहार पत्र (गिफट डीड)</u>

<u>प्रथम पक्ष (उपहार कर्ता)</u> **<u>शब्द लगभग 500</u>**

मनके :– रमेशचन्द्र पुत्र श्री परमानन्द आयु 87 वर्ष जाति अरोरा निवासी क 1 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) हाल निवासी हाउस नं0– बी 5, 1043 जैन नगरी अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) का निवासी हूँ।

आधार नं0–[redacted] 2263 **मो.न0**–9876126696

—: बहक :—

<u>द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहिता)</u>

अमिन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया पुत्र श्री रमेशचन्द्र आयु 26 वर्ष जाति अरोडा निवासी चक 1 जैड तह. व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी हाउस नं0– बी–5/1043 जैन नगरी अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) का निवासी हूँ।

आधार नं0–[redacted] 8037 **मो.न0**–9876126696

लगातार...2

Presentation Endorsement

आज दिनांक 09 माह 10 सन् 2023 को 04:36 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH CHANDER पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PARAMA NAND
उम्र 87 वर्ष, जाति 0-ARORA , व्यवसाय Farmer
निवासी House No.:NO, Colony: NO, Area: CHAK 1 Z , City: SRI GANGANAGAR, Pin code: 335001, District: GANGANAGAR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202301103036296

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
GANGANAGAR

Gift in favour of son's son

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302103036487
दिनांक	09-10-2023
पंजीयन शुल्क ₹	89761
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	100
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	0
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	0
कुल योग	90161

202301103036296

उप पंजीयक, GANGANAGAR

Gift in favour of son's son

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Registration Receipt
RJ1432862827955 ₹ 90161

उपहार में दी जाने वाली सम्पत्ति का विवरण

कृषि भूमि वाके चक 1 जैड़ पटवार हल्का 4 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) के खाता संख्या 80/51 के मुरब्बा नं0– 41 के किला नं0– 1 में 0.250है., (पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा), 2 में 0.2277है., (किला नं0– 9 के साथ चिपता हुआ), 3 में 0.2277है., (किला नं0– 8 के साथ चिपता हुआ), 4 में 0.2277है., (किला नं0– 4 के साथ चिपता हुआ), 5 में 0.2277है., (किला नं0– 6 के साथ चिपता हुआ), 6 में 0.1686है., (किला नं0– 5 के साथ चिपता हुआ), 7 में 0.1686है., (किला नं0– 4 के साथ चिपता हुआ), 8 में 0.1686है., (किला नं0– 3 के साथ चिपता हुआ), 9 में 0.1687है., (किला नं0– 2 के साथ चिपता हुआ), 10 में 0.1666है., (उत्तरी–पूर्वी हिस्सा), 11 में 0.1818है.,(पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा) 12 में 0.184है.,(दक्षिणी हिस्सा), 13 में 0.184है., (दक्षिणी हिस्सा), 14 में 0.184है., (दक्षिणी हिस्सा), 15 में 0.184है., (दक्षिणी हिस्सा), 16 में 0.253है., 17/1 में 0.2446है., नहरी कृषि भूमि कुल रकबा 3.3923है., नहरी कृषि भूमि जैसी भी आज मौका पर स्थित है।

जो कि मुझ मिकर के नाम से कृषि भूमि वाके चक 1 जैड़ पटवार हल्का 4 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) के खाता संख्या 80/51 के मुरब्बा नं0– 41 में 4.765है., नहरी कृषि भूमि, व मुरब्बा नं0– 45 में 1.265है., नहरी मय बाग मय खाला कृषि भूमि अर्थात दोनो मुरब्बो का कुल योग 6.030है., नहरी मय बाग मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 अनुसार दर्ज जमाबन्दी खातेदारी है जिसका मैं मिकर कानूनी मालिक व काबिज हूँ मुझ मिकर का उक्त वर्णित रकबा हर प्रकार के विवाद आदि से क्लीयर हालत में है उक्त रकबा पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नही है उक्त रकबा मुझ मिकर के कब्जा काश्त में है रकबा को उपहार आदि करने का पूर्ण अधिकार है मेरा अपने हकिकि पोत्र अमिन सेतिया से काफी स्नेह प्यार है इसलिए उक्त रकबा में से 3.3306है., नहरी कृषि भूमि अपने हकिकि पोत्र अमिन सेतिया को देने का काफी समय से मन बना रखा था। इसलिये अपने पूर्ण

लगातार...3

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH CHANDER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PARAMA NAND , व्यवसाय Farmerजाति 0-ARORA House No.:NO, Colony: NO, Area: CHAK 1 Z , City: SRI GANGANAGAR, Pin code: 335001, District: GANGANAGAR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 87 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री AAMIN SETIA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री AJAY SETIYA व्यवसाय Otherजाति 0-ARORA House No.:B-5/1043, Colony: JAIN NAGARI , Area: ABOHAR , City: FAZILKA , Pin code: 152116, District: FIROZPUR, State: PUNJAB			Claimant Age : 26 Signature : Asetia

ने लेख्यपत्र Gift in favour of son's son को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 0/- पूर्व में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री AJAY KANT SETI , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMESH CHANDER जाति ARORA Age: 61 Add: House No.:NO, Colony: JAIN NAGARI, Area: ABOHAR , City: ABOHAR , Pin code: 152116, District: FIROZPUR, State: PUNJAB			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री AMANDEEP SINGH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JAGDEV SINGH जाति JATSIKG Age: 43 Add: House No.:NO, Colony: NO, Area: BAKAINWALA , City: FAZILKA , Pin code: 152128, District: FIROZPUR, State: PUNJAB	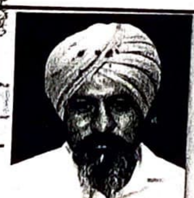		Signature

202301103036296

Gift in favour of son's son

उप पंजीयक, GANGANAGAR

होस हवास में उक्त कृषि भूमि वाके चक 1 जैड़ पटवार हल्का 4 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) के खाता संख्या 80/51 के मुरब्बा नं0– 41 के किला नं0– 1 में 0.250है., (पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा), 2 में 0.2277है., (किला नं0– 9 के साथ चिपता हुआ), 3 में 0.2277है., (किला नं0– 8 के साथ चिपता हुआ), 4 में 0.2277है., (किला नं0– 4 के साथ चिपता हुआ), 5 में 0.2277है., (किला नं0– 6 के साथ चिपता हुआ), 6 में 0.1686है., (किला नं0– 5 के साथ चिपता हुआ), 7 में 0.1686है., (किला नं0– 4 के साथ चिपता हुआ), 8 में 0.1686है., (किला नं0– 3 के साथ चिपता हुआ), 9 में 0.1687है., (किला नं0– 2 के साथ चिपता हुआ), 10 में 0.1666है., (उत्तरी–पूर्वी हिस्सा), 11 में 0.1818है.,(पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा) 12 में 0.184है.,(दक्षिणी हिस्सा), 13 में 0.184है., (दक्षिणी हिस्सा), 14 में 0.184है., (दक्षिणी हिस्सा), 15 में 0.184है., (दक्षिणी हिस्सा), 16 में 0.253है., 17/1 में 0.2446है., नहरी कृषि भूमि कुल रकबा 3.3923है., नहरी कृषि भूमि जैसी भी आज मौका पर स्थित का उपहार अपने हकिकि पोत्र अमिन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया पुत्र श्री रमेशचन्द्र आयु 26 वर्ष जाति अरोडा निवासी चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) हाल निवासी हाउस नं0– बी–5/1043 जैन नगरी अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) बतौर उपहार (गिफ्ट) देता हूँ एवं यह इकरार करता हूँ व लिख देता हूँ कि उक्त वर्णित रकबा का कब्जा द्वितीय पक्ष को उक्तानुसार सम्भला दिया है जिसका आज से कानूनी मालिक व काबिज हो गया है आज के बाद मुझ मिकर का कोई वारिस आदि पैदा होकर उक्त उपहार में दी गई भूमि के बाबत उजर एतराज आदि करता है तो झूठा माना जावेगा उक्त रकबा बाबत जो हक अधिकार मुझ मिकर को थे वो तमाम हक अधिकार आज से द्वितीय पक्ष को होंगे आज के बाद में उपहार ग्रहिता उक्त भूमि को अपनी ईच्छा के अनुसार उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी होगा व उक्त भूमि का पूर्णतया रूप से द्वितीय पक्ष मालिक व काबिज हो गया है आज बाद में उपहार ग्रहिता उक्त रकबा का नामान्तरण सम्बन्धित राजस्व विभाग के रिकार्ड में करवाये, पानी की पर्ची स्वयं के नाम करायें या अन्य को रहन, बैय करें, तो मुझ मिकर को कोई एतराज नही होगा जिसमें मुझ मिकर कि पूर्ण सहमति होगी।

लगातार...4

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 8976026 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 0 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 89761, सरचार्ज राशि 0 कुल रू 89761 रसीद संख्या 202302103036487 दिनांक 09-10-2023 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 0 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202301103036296 उप पंजीयक, GANGANAGAR

Gift in favour of son's son

Registration Endorsement

आज दिनांक 10/10/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1682 में
पृष्ठ संख्या 22 क्रम संख्या 202303103112569 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4216 के
पृष्ठ संख्या 252 से 261 पर चस्पा किया गया।

202301103036296 उप पंजीयक, GANGANAGAR

Gift in favour of son's son

उपहार ग्रहिता की सहमति

मैं अमिन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया पुत्र श्री रमेशचन्द्र आयु 26 वर्ष जाति अरोडा निवासी चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) हाल निवासी हाउस नं0– बी–5/1043 जैन नगरी अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) का निवासी हूँ। मेने कृषि भूमि वाके चक 1 जैड़ पटवार हल्का 4 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) के खाता संख्या 80/51 के मुरब्बा नं0– 41 के किला नं0– 1 में 0.250है., (पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा), 2 में 0.2277है., (किला नं0– 9 के साथ चिपता हुआ), 3 में 0.2277है., (किला नं0– 8 के साथ चिपता हुआ), 4 में 0.2277है., (किला नं0– 4 के साथ चिपता हुआ), 5 में 0.2277है., (किला नं0– 6 के साथ चिपता हुआ), 6 में 0.1686है., (किला नं0– 5 के साथ चिपता हुआ), 7 में 0.1686है., (किला नं0– 4 के साथ चिपता हुआ), 8 में 0.1686है., (किला नं0– 3 के साथ चिपता हुआ), 9 में 0.1687है., (किला नं0– 2 के साथ चिपता हुआ), 10 में 0.1666है., (उत्तरी–पूर्वी हिस्सा), 11 में 0.1818है.,(पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा) 12 में 0.184है.,(दक्षिणी हिस्सा), 13 में 0.184है., (दक्षिणी हिस्सा), 14 में 0.184है., (दक्षिणी हिस्सा), 15 में 0.184है., (दक्षिणी हिस्सा), 16 में 0.253है., 17/1 में 0.2446है., नहरी कृषि भूमि कुल रकबा 3.3923है., नहरी कृषि भूमि जैसी भी आज मौका पर स्थित को मिकर अपने हकिकि दादा रमेशचन्द्र पुत्र श्री परमानन्द आयु 87 वर्ष जाति अरोरा निवासी क 1 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) हाल निवासी हाउस नं0– बी 5, 1043 जैन नगरी अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) से उपहार स्वरूप स्वीकार की है।

लिहाजा मुझ मिकर ने दस्तावेज उपहार–पत्र (गिफट डीड) अपने पूर्ण होस हवास से बिना किसी प्रकार का नशा पता किये बरोबरू गवाहन के तहरीर व तस्दीक करवा दिया है कि सन्द रहे और वर वक्त जरूरत काम आवें। दिनांक :– 09.10.2023

मिकर

(रमेशचन्द्र)

सहमति

(अमिन सेतिया)

गवाह :–(1)

अमनदीप सिंह पुत्र श्री जगदेवसिंह

जाति जटसिख निवासी बकेनवाला

गवाह (2)

अजयकान्तसेतिया पुत्र श्री रमेशन्द्र

पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत धारा 32 ए के तहत फिंगर प्रिन्टस

क्रेता / विक्रता	नाम	अंगुठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्का	हस्ताक्ष

11655 500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

1000 Rs. भारत 1000 रु. 1000 रुपये INDIA SPECIAL ADHESIVE RUPEES ONE THOUSAND (×11)

IMPOUNDED 20/8/91

मालियती स्टाम्प
100000/- 12655/-

मन्नाकि फकीर चन्द पुत्र श्री कुन्दन लाल जाति अग्रवाल निवासी रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान का हूं।

जो कि मिन्दर की आराजी खाता नम्बर ~~61~~ 52/6 चक नम्बर 1 जैड तहसील व जिला श्री गंगानगर के बगराम्त ~~केसरी देवी~~ हेमराज मुरब्बा नम्बर ~~36/25~~, 57/25, ~~55/25~~, ~~68/25~~ रकबा ~~60~~ 25 बीघा नहरी मय खाल दर्ज कागजात पटवार है जिसमें से मिन्दर व मिन्दर के भाई हेमराज का 500 हिस्सा है व इस रकबा का निस्फ हिस्सा 250 हिस्सा रकबा 12.11 बीघा का मिन्दर मालिक

Signature

1256 26/8/91
रमेशचंद पन्नाचंद
अरोड़ा गंगानगर

11655—

1000×11 = 11000—
500×1 = 500—
15×2 = 150—
5×1 = 5
11655—

12196 30/8/91
बयान संख्या ...... दिनांक ......
पंजीयन शुल्क ......
प्रतिलिपि शुल्क ......
पृष्ठांकन शुल्क ......
कार्यालय शुल्क ......
योग ......

आज ...... दिनांक 30 माह 8 [redacted]
को ...... से ...... बजे के मध्य श्री ......
पुत्र श्री ...... जाति ......
पेशा ...... निवासी ...... ने यह पत्र ...... मेरे समक्ष
प्रस्तुत किया।

उप-पंजीयक
श्री गंगानगर।

गंगानगर

12196 30/8/91
लेख संख्या ...... दिनांक ......
पंजीयन शुल्क ......
प्रतिलिपि शुल्क ......
पृष्ठांकन शुल्क ......
कार्यालय शुल्क ......
अन्य शुल्क ......
योग ......

उप पंजीयक श्री गंगानगर

पचहत्तर रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

७५रु. SEVENTY FIVE RUPEES 75Rs.

75 Rs.

-2.

का काबिज है फिर के वास्ते खर्च खानगी व जायद
जरूरत के लिये रुपये की आवश्यकता है इस लिये मैं
ने अपनी आराजी 250 हिस्सा मे से 100 हिस्सा
रकबा खाता नम्बर 52/6 चक नम्बर 1 लैड
तहसील गंगानगर रकबा नहरी के मिन मुबलग तबादिला
100000 रुपया अक्षरे एक लाख रुपया जिसका निस्फ
50000 रुपया होते है के बदले श्री रमेश चन्द पुत्र श्री
पन्ना लाल सोनिया जाति अरोड़ा निवासी श्री गंगानगर
राजस्थान को कब्जे का फारिग कराई करने का मुआहदा
करके इकरार करता व लिख देता हूं कि जो हक हकूक
उपरोक्त फारिग शुदा आराजी 100 हिस्सा पर मुझ
बाया को हासिल थे वह आयन्दा तमाम हक हकूक मुस्तरी
मजकूर को हासिल होंगे नीज जो रकम जर बादिला
100000 रुपया अक्षरे एक लाख रुपया कैरान 5 फाल
सब रजिस्ट्रार साहब श्री गंगानगर बरूबरू पा लिये है
वो काबिल कुबूल और लेन देन किसी किस्म का बाकी नहीं

Prem

1256 2618/91
रमेशचंद पन्नानंद
अबोहर गंगानगर

स्वत श्री ....
लेख पत्र .... को पढ़ सुन व समझकर
उसका निष्पादन करना स्वीकार किया।

विक्रय प्रतिफल राशि रु० ....
जारे रु० ....
में से रुपये .... जो पूर्व में
एवं शेष राशि ....
मेरे समक्ष नकद प्राप्त किये।

निष्पादन कर्ता की पहचान
श्री .... पुत्र श्री ....
उम्र .... वर्ष .... जाति .... पेशा ....
निवासी ....
ने एवं श्री .... पुत्र ....
उम्र ...... वर्ष ...... पेशा .... निवासी ....
.... ने की।

उप पंजीयक श्री गंगानगर

पचहत्तर रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

७५रू. SEVENTY FIVE RUPEES 75Rs

-२

की तरफ बकाया नहीं रहा है कब्जा फरोख्त शुदा आराजी 100 हिस्सा पर मौका पर मुश्तरी का कब्जा दिया गया है व वह उस पर मुकम्मिल तौर पर काबिज हो चुका है। अब उपरोक्त आराजी पर फिकर व फिकर के वारिसान का आयन्दा कोई ताल्लुक व वास्ता किसी किस्म का नहीं रहा है। उपरोक्त आराजी की फरोख्तगी निस्बत बाया का कोई सहीह व शरीक पैदा होकर दावेदार होगा व उससे मुश्तरी को कोई हर्जा व नुकसान पहुँचे गा तो उस की हर्जा व नुकसान की तमाम जुम्मेवारी फिकर बाया के जुम्मे होगी यह आराजी मय खाला रास्ता इस्तेमाल इत्यादि मय हक हकूक किस्म बय व फरोख्त की गई है। उपरोक्त आराजी हर किस्म के बार से पाक व साफ है आयन्दा कोई बार बरामद होगा तो उसकी तमाम अदायगी हर प्रकार की बाया के जुम्मे होगी उपरोक्त आराजी ग्राम जालू के करीब 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है उपरोक्त आराजी के

1256
रमेश चंद
अरोड़ा

26/8/91
परमानंद
रंगानगर

न्यायालय उप पंजी० एवं कलेक्टर (मुद्रांक), हनुमानगढ़ के
निर्णय दिनांक 2/6/95 पत्रावली सं० 531/91 से इस
दस्तावेज के लिए [illegible] की स्टाम्प की राशि मुद्रांक
कर रू० 11250/- [illegible] रू० 185/- शास्ति रू० 51/-
कुल रू० 11481/- रसीद/चालान सं० [illegible] दि० 2/6/95
को इस कार्यालय/एस० आर० [illegible] में जमा हो चुके हैं।
अतः इस दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकित [illegible] घोषित किया
जाता है।

[signature]
कलक्टर (मुद्रांक)
हनुमानगढ़ जंक्शन

INDIA

पाँच रुपये

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

सत्यमेव जयते

5 RS

४.

पहले से गड्ढा लगा हुआ था व आराजी इस समय काश्त के काबिल नहीं है क्योंकि सड़क से काफी दूर, टीला पर है व पूरा पानी भी नहीं पहुंचता है व इस आराजी में कोई ट्यूब वेल नहीं लगा हुआ है खातेदार का हक सिवायी प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या १६३०४ दिनांक ११.१.९१ को उप खण्ड दण्डनायक मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर द्वारा जारी किया हुआ है व विक्रय पत्र श्री गंगानगर १९९१ की बही जिल्द में क्रम संख्या ५३६ भाग संख्या १ में नाम दर्ज है उक्त आराजी का इन्तकाल मिलकियत की जो हमारे खातेदार के नाम पर दर्ज व काबिज होंगे मेरी कोई रुकावट नहीं होगी दस्तावेज बयनामा १००००० रुपये की मालियत बाजिब कीमत ११६५५ रुपये के स्टाम्प वाजिब बनता है लिहाजा यह दस्तावेज बयनामा ११६५५ रुपये के स्टाम्प पर बेहतरी का तहरीर करा दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे कलम फतेह लाल सिंह वकील निवासी श्री गंगानगर श्री दिनांक २८.८.९१ ई०

गवाह

हस्ताक्षर

अ० लड़

लाल

[illegible]

गवाह

राजेन्द्र ..

Rajendra

1256
રમેશચંદ
ગારોડા

ર।8/91
પરમાનંદ
ગંગાનગ

11655

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

(11 adhesive stamps, each:) 1000 Rs. भारत 1000 रु. 1000 रुपये INDIA SPECIAL ADHESIVE RUPEES ONE THOUSAND

IMPOUNDED
30.8.91

दस्तावेज बयनामा   मालियती   स्टाम्प
                          १०००००/-   ११६५५/- रुपया

मनकि हेमराज पुत्र श्री कुन्दन लाल जाति अग्रवाल
निवासी रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान का हूं
जो कि मिलकियत की अराजी खाता नम्बर ~~6~~ 22/6 चक
नम्बर 1 जैड तहसील व जिला श्री गंगानगर ~~में~~
बारानी ~~केसरी देवी वगैरह~~ फकीरचन्द मुरब्बा नम्बर ~~36/1~~ · 41/25
~~45/25~~ – ~~46/25~~ रकबा ~~50~~ 25 बीघा नहरी दर्ज कागजात
पटवार है जिसमें से मिलकियत या मिल्कियत के कोई फकीरचन्द

Hemraj [signature]

1257 26/8/91

ईश्वरचंद पन्नालाल

अरोड़ा गंगानगर

11655—

1000×11 = 11000—

500×1 = 500—

75×2 = 150—

5×1 = 5—

11655

लेख संख्या 1257 दिनांक 30/8/91

पंजीयन शुल्क ....

प्रतिलिपि शुल्क ....

आज [illegible] दिनांक 30 माह 8 सन् 91

को [illegible] बजे के मध्य श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible] उम्र [illegible] जाति [illegible]

पेशा [illegible] निवासी [illegible] मेरे समक्ष

[illegible] प्रस्तुत किया।

उप-पंजीयक

श्री गंगानगर।

हस्ताक्षर

लेख संख्या 1257 दिनांक 30/8/91

पंजीयन शुल्क ....

प्रतिलिपि शुल्क ....

पृष्ठांकन शुल्क ....

नामांतरण शुल्क ....

योग शुल्क ....

उप पंजीयक श्रीगंगानगर

पचहत्तर रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

७५रु. 75Rs.

SEVENTY FIVE RUPEES

-2.

का ५०० हिस्सा है व इस रकबा का निस्फ हिस्सा २५० रकबा २५० हिस्सा (१२॥ बीघा) का मैं फकीर मालिक व काबिज हूँ। फकीर को वास्ते खर्च खानगी व जायज जरूरत के लिये रुपयों की आवश्यकता है इसलिये फकीर ने अपनी आराजी २५० हिस्सा में से १०० हिस्सा रकबा खाता नम्बर ~~८/८~~ ५२/६ मुरब्बा नम्बर ~~२८, ४१, ४२ व ६३~~ ४१ चक नम्बर १ जैड तहसील श्री गंगानगर रकबा नहरी को बिल मुक्ता मुब्लिग १०००००) रुपया अक्षरे एक लाख रुपया निस्फ जिसके ५००००) रुपया होते हैं के बदले श्री रमेश चन्द पुत्र श्री पन्ना लाल सेठिया जाति अरोड़ा निवासी श्री गंगानगर राजस्थान के पक्ष में फरोख्त कतई करने का मुआहिदा करके इकरार करता व लिख देता हूँ कि जो हक हकूक उपरोक्त फरोख्त शुदा आराजी १०० हिस्सा पर मुझ बायां को हासिल थे वह आयन्दा तमाम हक हकूक मुश्तरी मजकूर को हासिल होंगे नीज जो रकम मुब्लिग १०००००) रुपये अक्षरे एक लाख रुपया बैंक दफ्तर सब रजिस्ट्रार साहब श्री गंगानगर नकद वसूल पा लिया है व

Herbi Gun

1257
रमेशचंद
अरोड़ा

26/8/91
प्रेमानंद
गंगानगर

...क्त श्री ....
...लेख पत्र .... को पढ़ सुन व समझकर
...सका निष्पादन करना स्वीकार किया।

विक्रय प्रतिफल राशि रु० 100000
अक्षरे रु० ....
~~में से रुपये~~ .... जो पूर्व
~~एवं शेष राशि~~ ....
~~...~~ समक्ष नकद प्राप्त किये।

निष्पादन कर्ता की पहचान
श्री .... पिता ....
निवासी ....
निवासी .... की।

उप पंजीयक
कार्यालय एवम् मुद्रांक
श्री गंगानगर

75 Rs.

पचहत्तर रुपये

सत्यमेव जयते

भारत
INDIA

७५रू. SEVENTY FIVE RUPEES 75 RS.

बाकी कुछ भी लेन देन किसी किस्म का खरीददार
की तरफ बकाया नही रहा है। व कब्जा फरोख्त शुदा
आराजी 100 हिस्सा पर मौका पर मुश्तरी का कब्जा
दिया गया है व वह उस पर मुकम्मिल तौर पर काबिज
हो चुका है। अब उपरोक्त आराजी पर मिल्क व मिल्कर
के बायआन का आयन्दा कोई ताल्लुक व वास्ता किसी
किस्म का नही रहा है। उपरोक्त आराजी की फरोख्तगी
निस्बत बाया का कोई सहीक व शरीक पैदा होकर
दावेदार होगा व उससे मुश्तरी को कोई हरजा व
नुकसान पहुंचेगा तो उसकी हर्जा व नुकसान की जुम्मेवारी
मिनजानिब बाया के जुम्मे होगी। यह आराजी मय खाला
रास्ता दरख्तान इत्यादि मय हकूक हर किस्म
बय का फरोख्त की गई है। उपरोक्त आराजी हर
किस्म के बार से मुबर्रा है आयन्दा कोई बार किसी
किस्म का साबित होगा तो उसकी भी तमाम जुम्मेवारी
हरस्वरा की बाया के जुम्मे होगी। उपरोक्त आराजी
गंगा नहर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है

[illegible]

1257
रमेशचंद
अ.पेशी

26/8/91
श्री. परमानंद
गंगानगर

न्यायालय उप महा० एवं कलेक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ जं०
निर्णय दिनांक 2/6/95 पत्रावली सं0 ...5.12/4/91... से इस दस्तावेज के विरुद्ध निकाली गई कमी स्टाम्प की राशि मुद्रांक कर रु0 ..11250/-.. रजि० शुल्क रु0 ...180/-... शास्ति रु0 ..51.. कुल रु0 .....11481... चालान सं0 ...1/54... दि. 2/6/95 को इस कार्यालय/एस० बी०बी०जे० ...... में जमा हो चुके हैं। अतः इस दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांक पर होना घोषित किया जाता है।

कलेक्टर (मुद्रांक)
हनुमानगढ़ जंक्शन

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

पाँच रुपये

-8.

उपरोक्त आराजी में पहले से गड्ढा लगा हुआ है व आराजी इस काम काश्त के काबिल नहीं है व मौके से काफी ऊँचे टीले पर है व यहाँ पानी भी नहीं पहुँचता है व इस आराजी में कोई रूख पेड़ नहीं लगा हुआ है खरीदार का मूल निवासी प्रमाण-पत्र क्रमांक संख्या १६३०४ दिनांक ११.१.५१ को उप खण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा जारी किया हुआ है व विधान सभा श्रीगंगानगर १९९१ की वोटर लिस्ट में क्रम संख्या ५३६ भाग संख्या ८ में नाम दर्ज है उपरोक्त आराजी का इन्तकाल किता बाया की गैर हाजरी में दर्ज कर दिया जावे तो किता को कोई ऐतराज नहीं है यह दस्तावेज बैयनामा १००००० रुपये की मालियती का है जिसपर ११६२५) रुपये का स्टाम्प कागज लगा है लिहाजा यह दस्तावेज बैयनामा ११६२५) रुपये के स्टाम्पों पर तहरीर करके बतौर सबूत रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे कलम फकीरी लाल पिता [illegible] नवीस श्रीगंगानगर की है दिनांक २६-८-१९९१ ई० मी०

गवाह
प० मा० [illegible]
मोहरीलाल
[illegible]

अ० बकलम
हेमराज
[illegible]

गवाह
राजेश S/o [illegible]
[illegible]
Rajesh [illegible]

[illegible] RANGI LAL [illegible]DHA
Petition Writer
Rev. No. [illegible]
Judicial No. [illegible]
SRI GANGANAGAR [illegible]

नोट:- दस्तावेज बयनामा मैं वर्क नम्बर अव्वल मैं सतर नम्बर ३ मैं '६/८' काटा गया है व ऊपर ५२/६ लिखा गया है व सतर नम्बर ५ मैं 'केसरी देवी वगैरह' काटा गया है व उस पर ऊपर फकीरचन्द लिखा गया है व इसी सतर मैं ३४/२ काटा गया है व सतर नम्बर ६ मैं ४५/२५, ४६/२५ काटा गया है व इनके आगे एक का छोड़ कर ६६ काटा गया है व ऊपर २५ लिखा गया है व वर्क २ मैं सतर नम्बर ६ मैं ६/८ काटा जाकर ऊपर ५२/६ लिखा गया है व इसी सतर मैं आगे ३४,४१,४५, व ४६ काटा जाकर ऊपर ४१ लिखा गया है व काटी हुई जगह पर बायन के दस्तखत मोजूद है व उसने अपने हिस्से की आराजी मैं से खाता नम्बर ५२/६ मुरब्बा नम्बर ४१ मैं से १०० हिस्सा आराजी नहरी वाका चक १ जैड तहसील गंगानगर ब्याह फरोख्त की गई थी। लिहाजा यह तहरीर वास्ते विजह रहे बतौर जकात पर वाड ओर्डे दिनांक २६-८-८१

अलब्द
हेमराज
[signature]

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

1000 भारत 1000 Rs

1000 रुपये INDIA

SPECIAL ADHESIVE

RUPEES ONE THOUSAND

बैयनामा

... निवासी परमा ... पुत्र श्री ... जाति ... निवासी श्रीगंगानगर मुख्तारआम मिन जानिब हेमराज व फकीरचन्द पिसरान श्री कुन्दनलाल, उम्रबालिग निवासी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के है।

जो कि श्री हेमराज व फकीरचन्द पिसरान श्री कुन्दन लाल निवासी रायसिंहनगर के नाम पर चक नम्बर १ जैड तहसील गंगानगर मे खाता नम्बर ५२१६ में मुरब्बा नम्बर ४१ में २५ बीघा है जिस पर वह मालिक है। किस्म पैमाना खेतिहर, उक्त भूमि हेमराज व फकीरचन्द श्री आसराजी बावत मुख्तारआम है व मुख्तारनामा आम पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 141 पृष्ठ संख्या 339 दिनांक 16/9/91 सब रजिस्ट्रार अबोहर से पंजीबद्ध इकाई कार्यालय है व किया। मैं बहैसियत मुख्तारआम श्री हेमराज व फकीरचन्द श्री आसराजी के से मुरब्बा नम्बर ४१ के ८ बीघा चक नम्बर १ जैड तहसील गंगानगर खाता नम्बर ५२१६ में से बिल मुक्ता मुबलिग १८०००० रुपये अक्षरे एक लाख अस्सी हजार रुपये विक्रय जिसके ५०००० रुपये होते

Parmanand ...

(Stamp: कार्यालय उप-पंजीयक ... (राज.))

16/94 26/9/94

रमेश चन्द्र परमानन्द

18000/- सीमा सोढ़ा कालोनी गंगानगर

पटवारी ह.

स्थापित किया जाता है कि रु० ... कलक्टर/कोर्ट फीस ... होने की वजह से ... के लिये ... जारी किये गये।

5000 × 2 = 10,000
1000 × 8 = 8000

18000

953
1/12/94

मूल दस्तावेज/बयनामा ACM/प्रार्थी ...जो मूल्यांकन निर्धारण ... हित जारी।

पटवारी ह. 26/9/94
कोषा
कोष-कार्यालय
श्री गंगानगर

जिला पंजीयक
श्री गंगानगर
1/12/94

पेशकर्ता श्री सुभाषचन्द
पंजीयन लिपिक
5/12/94

Parma Kaur Dhillon

क्रम संख्या 1

प्रस्तुतिकरण

(धारा 52, भारतीय पंजीयन अधि०)

आज दिनांक 2.12.94 शुक्रवार ... 4-5 बजे के मध्य सहायक कलक्टर (मालिका) एवं उप पंजीयक के लिए श्री गंगानगर में श्री परमानन्द पुत्र श्री मोतीलाल जी जाति खेजड़ा उम्र वर्ष 46 जाति खत्री, अरोड़ा पेशा ... निवासी रायसिंहनगर ... ने यह लेख्य पत्र वास्ते पंजीयन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

(signature)
सहायक कलक्टर (मालिका)
हस्ताक्षर प्रस्तुत कर्ता एवं पदेन उप पंजीयक
श्री गंगानगर

क्रम संख्या 2

(पंजीयन एवं अन्य शुल्क)

(धारा ... भारतीय पंजीयन अधिनियम)

रसीद नं. 3/298 दिनांक 15/12/94

पंजीयन शुल्क रुपये 2000/-

प्रतिलिपि शुल्क रुपये 10/-

अन्य शुल्क रुपये ×

योग रुपये 2010/-

Parma Kaur Dhillon

(signature)
सहायक कलक्टर (मालिका)
एवं पदेन उप पंजीयक
श्री गंगानगर

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

है बदस्त श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री [illegible] मोतिया, निवासी मोतियाकोलोनी
श्री गंगानगर को बैय व फरोख्त करके इकरार करता व लिख देता हूँ कि
जो हक हकूक उक्त का मुझ विक्रेता बाबत के हासिल है वह आयन्दा
तमाम हक हकूक खरीददार को हासिल होंगे नीज जो रकम का कुल्लन
९८0000/ रुपया बैरून दफ्तर सब रजिस्ट्रार साहब गंगानगर नकद वसूल
पा लिये हैं व कोई लेन देन किसी किस्म का बकाया खरीददार की
तरफ नहीं रहा है कब्जा आराजी फरोख्त शुदा पर मौका पर खरीददार
का करवा दिया गया है व वह उस पर काबिज हो चुका है पहले की
कोई रहन बकाया होगी तो उसकी जुम्मेवारी बायान के जुम्मे होगी उपरोक्त
आराजी की फरोख्तगी बाबत बायान का कोई सहीह व वारिस पैदा
होकर दावेदार होगा तो उसके खरीददार को कोई नुकसान पहुंचेगा तो
उसकी जुम्मेवारी बायान की होगी आराजी शहर गंगानगर से करीब ६ किलो
मीटर दूरी पर है व मौका से ८ मुरब्बा दूर है। बायान का मूल निवासी
प्रमाण पत्र क्रम संख्या 16304 दिनांक 11-1-91 को उप खण्ड मजिस्ट्रेट गंगानगर
द्वारा जारी किया हुआ है व मतदाता सूचि निर्वाचन क्षेत्र गंगानगर वर्ष 1971 के
क्रम संख्या 536 भाग संख्या 9 पर बायान का नाम व नाम अंकित है तो
मुक्तकला/ इकरारनामा मुख्तयारनामा अभी तक निरस्त नहीं करवाया है ना वह
जीवित है। दस्तावेज बैयनामा ९८0000/ रु की मालियती का है लिखवा दिया
दस्तावेज बैयनामा ९८000/ रुपया के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील कर
दिया। श्री राम रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे दिनांक 24-11-1995

गवाह

अजयकुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र
अरोड़ा निवासी गंगानगर
Ajay...
Farangi Lal Midha

आलेखक

परमानन्द सोनिया पुत्र [illegible]
आई टी जीवन हैल्थ
व पार्टी [illegible]
Parma Nand Sonia

गवाह

राधा कृष्ण पुत्र [illegible]
जुनामाल मोतिया
कालोनी गंगानगर
[signature]

[signature] 11 95

(ब)

1494 26/7/94

क्रमांक 3

निष्पादन स्वीकार किया।

सहायक कलेक्टर (मुद्रांक)
एवं पदेन उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

14 ... 1 ... 707
35 ... 818
427 ... 1840
56
185

प्रतिफल राशि रुपये 1,80,000/-
1,80,000/-

मेरे समक्ष प्राप्त की

सहायक कलेक्टर
एवं पदेन उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर
एवं पदेन उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

26/7/98
854/96
1500
40500 ... 6/2011
4184
26/7/98 को इस न्यायालय/एस. आर ... है। अतः इस दस्ता वेज ... घोषित किया जाता